

# कार्यालय, जिला पंचायत कोण्डागांव (छ0ग0)

//विज्ञापन//

क्रमांक/446/जि0पं0/पं0अनु0/2015-16,

कोण्डागांव दिनांक 18/05/2015

जिला पंचायत कोण्डागांव के ग्राम पंचायतों में रिक्त पंचायत कर्मी/सचिव पद पर चयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा-1081/पंग्राविवि/22/2015 /135, नया रायपुर दिनांक 31-03-2015 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव (वेतनमान-3500-10000 ग्रेड वेतन 1100 रुपये एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्ते ) की निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन निर्धारित अर्हता एवं योग्यता रखने वाले कोण्डागांव जिले के मूल निवासी (पांच विकासखण्डों के पात्र एवं ईच्छुक) उम्मीदवारों से दिनांक 09/06/2015 को 5:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र मात्र रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (पंचायत अनुभाग) के पद नाम से प्रेषित किया जावे। विज्ञापित पद का विवरण निम्नानुसार है:-

## ग्राम पंचायत सचिव हेतु रिक्त पदों की गणना


क्र	जिला पंचायत का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अपिव					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					महायोग				
			मुक्त	महिला	शुद्ध शैक्षणिक	नि:शक्त	योग	मुक्त	महिला	शुद्ध शैक्षणिक	नि:शक्त	योग	मुक्त	महिला	शुद्ध शैक्षणिक	नि:शक्त	योग	मुक्त	महिला	शुद्ध शैक्षणिक	नि:शक्त	योग	मुक्त	महिला	शुद्ध शैक्षणिक	नि:शक्त	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	कोण्डा गांव	53	4	2	0	0	6	4	2	1	1	8	1	1	0	0	2	20	11	4	2	37	29	16	5	3	53
	योग	53	4	2	0	0	6	4	2	1	1	8	1	1	0	0	2	20	11	4	2	37	29	16	5	3	53

### सामान्य अर्हता एवं शर्त:-

- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेंड्री (10+2) बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
- विज्ञापन प्रकाशित तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। अजा/अजजा/अपिव/नि:शक्तजन तथा महिला उम्मीदवारों को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
- आरक्षित वर्ग के पदों के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- आवेदक को कोण्डागांव जिले का मूल निवासी होना आवश्यक होगा। समक्ष राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- जिला पंचायत कोण्डागांव द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं की पासपोर्ट साईज की फोटो शैक्षणिक अर्हता, योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों को स्व-प्रमाणिकृत प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत कोण्डागांव एवं संबंधित जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर देखा जा सकेगा।
- ग्राम पंचायत सचिव पद के चयन हेतु निर्धारण निम्नानुसार होगा:-
  - उम्मीदवारों के हायर सेकेंड्री परीक्षा के प्राप्त अंकों का-65 प्रतिशत अंक,
  - उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, अधिकतम 05 अंक,
  - रोजगार सहायक के पद पर कार्य का अनुभव अधिकतम 30 अंक (प्रत्येक वर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 10 वर्ष का अंक, एक वर्ष = न्यूनतम 09 माह का कार्यानुभव)

8. पूर्व नियोजित किन्तु किसी आरोप के आधार पर पदच्युत किये गये कर्मी/कर्मचारी ग्राम पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे ।
9. आवेदक का आवेदन करने की तिथि में रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है ।
10. निःशक्तजन उन्मीदवारो की निःशक्तता प्रमाण-पत्र जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा, तथा प्रमाण-पत्र 3 वर्ष से अधिक कालातीत नही होना चाहिए ।
11. आवेदक अपना आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा, पिन कोड सहित लिफाफा भी संलग्न करेंगे, जिसमें 5/- रूपये मूल्य का टिकट चस्पा करेंगे। बंद लिफाफा के ऊपर "ग्राम पंचायत सचिव हेतु आवेदन" 2015 अंकित किया जावे ।
12. चयनित ग्राम पंचायत सचिवों को दो वर्ष की परिवीक्षावधि में नियुक्त किया जावेगा, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। पंचायत कर्मी के कार्य तथा उनके आचरण उपयुक्त पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा परिवीक्षा अवधि हटाया जा सकेगा। यदि पंचायत सचिव का कार्य संतोषजनक नही पाया जाता है तो उसकी सेवाएं नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।
13. नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव छत्तीसगढ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 एवं छत्तीसगढ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानो से शासित होंगे।
14. उक्त विज्ञापित पदो की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
15. आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा वांछित प्रमाण पत्र नही होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

टीप:-विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत के वेबसाईड [www.Kondagaon.gov.in](http://www.Kondagaon.gov.in) पर अवलोकन किया जा सकता है।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत कोण्डागांव  
जिला कोण्डागांव

-:: ग्राम पंचायत सचिव पद आवेदन पत्र :-

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत कोण्डगांव

स्व-प्रमाणिकृत  
पासपोर्ट साईज  
रंगीन फोटो  
चस्पा करें

संदर्भ - विज्ञापन क्रमांक ..... दिनांक .....

- 1 आवेदक का पूरा नाम :- .....
- 2 लिंग (महिला/पुरुष) :- .....
- 3 पिता/पति का नाम :- .....
- 4 (अ) जन्म तिथि अंको में :- .....
- (ब) शब्दों में :- .....
- (स) विज्ञापन प्रकाशन तिथि की स्थिति में आयु :- वर्ष   माह   दिन
- 5 जाति (प्रवर्ग - अजा/अ.ज.जा/अ.पि.व/सामान्य) :- जाति ..... वर्ग.....  
(आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 6 क्या आवेदक जिला कोण्डगांव का मूल निवासी है। (हां/नहीं) :- .....  
(सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें) ग्राम .....  
तहसील ..... जिला ..... राज्य .....
- 7 पत्र व्यवहार का स्थायी पता :- .....  
.....  
पिन कोड .....
- 8 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का विवरण :- .....  
(क) रोजगार कार्यालय का नाम :- .....  
(ख) प्रथम पंजीयन का क्रमांक व दिनांक :- .....  
(ग) नवीनीकरण कराये जाने की तिथि :- .....  
(घ) अगली नवीनीकरण कराये जाने की तिथि :- .....
- 9 शैक्षणिक अर्हता संबंधी जानकारी :-

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि का नाम	संकाय	प्राप्तांक /पूर्णांक
1	2	3	4	5	6
1	हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा				
2	हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा				
3	स्नातक				
4	स्नातकोत्तर				
5	अन्य				

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

सहपत्र :-

- 1 हाईस्कूल सर्टिफिकेट अंकसूची की सत्यापित प्रति।
- 2 हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण अंकसूची सत्यापित प्रति।
- 3 निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- 4 आरक्षित प्रवर्ग के होने की स्थिति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- 5 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन की सत्यापित प्रति।
- 6 स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा की अंकसूची सत्यापित प्रति।
- 7 निशक्त होने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- 8 नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- 9 पाँच रुपये डाक टिकिट सहित पता लिखा हुआ दो लिफाफा।
- 10 भूतपूर्व सैनिक का विवरण एवं घोशणा पत्र।
- 11 अन्य।



// घोषणा पत्र //

मैं ..... पिता/पति ..... जाति ..... उम्र .....

निवासी ..... जिला कोण्डागाव शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी व आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र मेरे जानकारी व विवेक अनुसार सत्य एवं वैध है। मेरे दो से अधिक जीवित संतान हैं जिसमें से एक जन्म 26 जनवरी 2001 को यह उसके पश्चात् नहीं हुआ है। तथा मेरी एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी वह दस्तावेज असत्य, फर्जी अथवा कूटरचित पाये गये तो नियोक्ता को मेरी नियुक्ति निरस्त करने व अपराधिक प्रकरण दर्ज करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदक का हस्ताक्षर

10 अनुभव :- .....

यदि आप पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अतर्गत ग्राम रोजगार सहायक पद का अनुभव रखते हो तो निम्न जानकारी दें।

क्र.	पद का नाम	नियोक्ता का पदनाम व कार्यालय	कार्य का स्वरूप	कार्यावधि कब से कब तक	कुल अनुभव	शेष
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

टीप :- अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त कर मूलतः संलग्न करें।

11 कार्यालय का विवरण :-

किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नियोजित सेवा की स्थिति में निम्न जानकारी दी जावे अन्यथा निरंक भरे।

क्र.	कार्यालय/संस्था	धारित पद	से	तक	कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6

टीप :- यदि किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नियोजित नियोजित का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवदन पत्र के साथ संलग्न करें।

12 यदि आवेदक 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता से बाधित हो तो निम्न जानकारी दी जावे-

क्र.	निः शक्तता का प्रकार	निः शक्तता का प्रतिशत	मेडिकल बोर्ड का नाम जहां से विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया है।	प्रमाण पत्र का क्रमांक व दिनांक	विशेष
1	2	3	4	5	6

टीप:- जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

13 भूतपूर्व सैनिक हों/नहीं। :- .....

(विवरण एवं पूर्व में लाभान्वित नहीं होने के संबंध में घोशणा पत्र संलग्न करें।)

14 अन्य कोई जानकारी यदि हो तो :- .....